राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.: एफ 21(28) ग्रावि/नरेगा/2009–10 जयपुर, दिनांक : - 2 JUL 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निधियां जारी करने की प्रकिया को त्वरित एवं प्रभावी बनाने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव भेजने तथा ऑनलाईन ही निधियां जारी करने तथा एमआईएस पर शत प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक जे–11060/ 8/ 2010/ नरेगा दिनांक 31.05.10 एवं समसंख्यक पत्र दि. 04.06.10

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु निधियां जारी करने की प्रकिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने हेतु एक ऑन लाईन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया है, जिसके माध्यम से संबंधित जिला/राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी करने हेतु ऑन लाईन वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने होगे तथा संबंधित राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सभी प्रस्तावों को ऑन लाईन स्वीकार कर ऑन लाईन ही निधियां जारी किये जावेंगे।

इस तथ्य से आप भलीभांति अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त अनुमोदित लेबर बजट प्रावधान के प्रथम 6 माह की मांग में से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष को समायोजित करते हुये जारी की जाती है, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष के कुल लेबर बजट प्रावधान की 50 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम किस्त निम्न शर्तों की पूर्ति के उपरान्त जारी की जायेगी :–

1. चालू वित्तीय वर्ष का जिलावार प्रारम्भिक शेष।
2. जिलावार तथा माहवार श्रमिक मांग एवं निधियों की आवश्यकता।
3. गत वित्तीय वर्ष से गत वित्तीय वर्ष के लेखों का अंकेक्षण।
4. ऑडिट आक्षेपों का समाधान।
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, का सन्तुष्टिपूर्ण जवाब।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए किसी भी जिले द्वारा वास्तविक प्रारम्भिक शेष अवगत कराते हुए प्रथम किश्त की राशि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को तथा राज्य सरकार द्वारा जिलों को माह मार्च की मासिक प्रगति रिपोर्ट में अंकित अंतिम शेष को प्रारम्भिक शेष मानकर राशि जारी कर दी गयी है। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगे से निधियां जारी करने की प्रक्रिया को एमआईएस से लिंक किया गया है। अतः निधियों की मांग का प्रस्ताव भेजने की दिनांक तक की प्रविष्टियों की एमआईएस पर फीडिंग सुनिश्चित की जाये। राज्य सरकार द्वारा भी प्रथम किश्त की बकाया राशि एमआईएस पर दर्शाते हुये भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति के आधार पर ही जारी की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति को तीन माह हो चुके हैं, लेकिन कई जिलों द्वारा अभी तक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति की गलत प्रविष्टि की हुई है। अतः जिले के परियोजना अधिकारी लेखा/ एमआईएस मैनेजर सुनिश्चित करें कि वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2009–10 की सीए ऑडिट, प्रारंभिक शेष, वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिलों को केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश के रूप में कुल प्राप्तियां तथा विविध प्राप्तियां यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए जिले के पास कुल उपलब्धता तथा कुल व्यय की स्थिति अंकित करावें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2010 की एमआईएस फीड कर देने की स्थिति में संबंधित अधिकारी गलत/ अपूर्ण प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी होगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की एमआईएस पर फीडिंग कराकर ही प्रथम किस्त की बकाया राशि की मांग के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें। **राज्य सरकार स्तर पर निर्णय लिया गया है कि एमआईएस पर कम से कम 60 प्रतिशत फीडिंग करके प्रस्ताव भेजने वाले जिलों को ही प्रथम किश्त की बकाया राशि जारी की जाएगी।** एमआईएस पर फीडिंग नहीं होने के फलस्वरूप राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने से श्रमिक एवं सामग्री मद का भुगतान विलम्बित होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु द्वितीय किश्त ऑनलाईन जारी करने तथा ऑनलाईन ही प्रस्ताव लेने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। उक्त सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करने पर ही स्वीकार करेगा :–

1. आदिनांक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिसमें रोजगार मांग सृजन (Person days) की स्थिति।
2. केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्यांश जारी होना।
3. कुल उपलब्ध निधियों में से 60 प्रतिशत उपयोग कर लिया जाना।
4. एमआईएस में व्यय राशि की 10 प्रतिशत फीडिंग होना।
5. राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के लिये बजट प्रावधान की स्थिति।
6. गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष के एमआईएस आधारित उपयोगिता प्रमाण पत्र, ऑडिट आक्षेपों के जवाब तथा नरेगा गाईडलाईन के अनुसार प्रमाण पत्र यथा नॉन डायवर्जन तथा ऑन इम्वेजलमेंट इत्यादि।
7. 1 अक्टूबर, 2010 के बाद द्वितीय किश्त के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्तावों के साथ वित्तीय वर्ष 2009–10 की सीए ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।
8. सनदी लेखाकार की गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक तथा अंतिम शेष एवं गत वित्तीय वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मार्च, 2010 की एमपीआर (एमआईएस आधारित) में तारतम्यता।
9. वीआईपी रेफरेन्सेज का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण की स्थिति।
10. ग्राम पंचायत में नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन/ सामाजिक अंकेक्षण की Findings का अपलोड करना तथा तीन माह की अवधि में उन पर कार्यवाही कर रिपोर्ट को एमआईएस पर डालना।
11. द्वितीय किश्त का प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिले में ऑम्बड्स मैन (ombudsman) की नियुक्ति की स्थिति।
12. यदि अधिसूचित वेज रेट से अधिक दर से किये गये भुगतान तथा सामग्री मद से अधिक व्यय की स्थिति में अधिक भुगतान, राज्यांश से करने से संबंधित दस्तावेज।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 31.05.10 की प्रति संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप इन आदेशों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके इनकी पालना सुनिश्चित कराये। वित्तीय वर्ष 2010–11 की एमआईएस में फीडिंग शत प्रतिशत होना सुनिश्चित किया जावे तथा इसके लिए जिलों में पदस्थापित एमआईएस मैनेजर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस तथा परियोजना अधिकारी(लेखा) द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जिलों को स्वीकृति आदेश क्रमांक 1/2010–11 दिनांक 23.04.10 के द्वारा प्रथम किश्त की केन्द्रीय अंश की राशि जारी की जा चुकी है। प्रथम किश्त की बकाया राशि का प्रस्ताव कुल उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत एमआईएस आधारित उपयोग अंकित करते हुये राशि की मांग का प्रस्ताव प्रेषित करावे, ताकि प्रथम किश्त की बकाया राशि जारी की जा सके। **प्रथम किश्त की बकाया राशि के लिये ऑनलाईन प्रस्ताव की अनिवार्यता नहीं है।** भारत सरकार के संदर्भित आदेश के क्रम में पुनः स्मरण कराया जाता है कि **भारत सरकार द्वारा एमआईएस में अपडेट फीडिंग नहीं करने वाले जिलों को राशि जारी नहीं की जायेगी।** निधियों की अनुपलब्धता की स्थिति में श्रमिक एवं अन्य भुगतान विलंबित होने से क्षतिपूर्ति की देयता अथवा अन्य स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारीगण इसके लिये व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सीएस राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस।
4. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
7. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. श्री शशिकांत मुंजाल, एमआईएस प्रोग्रामर को पत्र मय संलग्नक विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

1.7.10
मुख्य लेखाधिकारी (नरेगा)

बी० के० सिन्हा
B. K. SINHA

D.O. No. J-11060/8/2010- NREGA

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development

31st May, 2010

With a view to smoothening and expediting financial releases as well as ensuring their proper and effective use for achieving Mahatma Gandhi NREGA objectives, the Ministry of Rural Development has proposed a system that interlock a set of necessary prerequisites with online submission of financial proposal. A software is being generated for online submission of financial proposal based on a set of parameters as prerequisites. In this regard, you may kindly recollect the discussions during the Workshop held on 18th May. 2010 in Vigyan Bhawan, New Delhi in which the proposed prerequisites for release of balance of 1st Tranche and the 2nd tranche were discussed at length and mutually agreed upon. These prerequisite are stated below:

Pre-requisite for release of First Tranche

Sub-section (6) of Section 14 of the Mahatma Gandhi NREGA and Chapter 8.4 of the Operational Guidelines provides detailed guidelines for preparation of Labour Budget. It provides for processes to be followed with a bottom-up approach in preparation of Labour Budgets. These Labour Budgets are to be prepared and thoroughly discussed in the Gram Sabhas which has a principal role to play in the planning, implementation and monitoring of the programme purely in accordance with Section 13, 14, 15, 16 & 17 of the Act. The amalgamated Labour Budget at the Block and District level shall also carry the approval of Panchayat Samiti and Zila Parishad respectively. Along with the Labour Budget, the State is also required to furnish a certificate to the effect that these Sections of the Act have been satisfied before the sitting of the Empowered Committee in the Ministry. In this regard several instructions have also been issued in the past. The important of which are as under:-

Sl.No.	Letter No.	Date
1.	12011/9/2007(NREGA)	05.09.2007
2.	J-11011/14/2007-NREGA(Pt.)	03.07.2008
3.	G-31011/5/2009-NREGA	04.01.2010
4.	K-11011/2/2008-NREGA(Mon)/TS	11.03.2010

The three basic parameters which are taken into account while considering the Labour Budget by the Empowered Committee are (a)Projected employment demand; (b) Projected persondays; (c) The cost per personday to work out expenditure; and (d)Number and types of proposed works through which legal guarantee of employment would be provided. While arriving at a figure under these heads, the past trends have to be taken care of and any steep hike has to be supported with proper justification. The Labour budget must invariably have month-wise breakup in case of each district to capture seasonality aspect.

Contd..2/...

As you are aware, the first tranche is released equivalent to the requirement of first six months subject to 50% of the fund requirement for the whole year based on the agreed to LB after adjusting funds available as opening balance on the 1st day of the financial year.

In order to enable Ministry to release 1st tranche immediately after the Labour Budget is agreed to, the States should also ensure fulfilment of following conditionalities:-

(a) District-wise opening balance figures as on April 1 of the financial year for which 1st tranche would be released.
(b) District-wise and month-wise projections of the labour demand and the fund requirement as per agreed to Labout Budgets.
(c) Accounts of the financial year before last should have been settled.
(d) Settlement of audit paras.
(e) Satisfactory reply of all clarifications sought by the Ministry.

2. The software being developed for submission of online proposals by the States/Districts for the release of 2nd tranche would be shared with States very soon. Accordingly, the Ministry would only accept online proposals for release of 2nd tranche henceforth. The details of which has already been shared and discussed with States in the above Workshop which are also detailed below:-

<u>Pre-requisite for release of 2nd Tranche - 2010-11</u>

The software has been programmed to accept online financial proposals only if the following conditionalities are met:

(a) Updated physical progress in terms of employment demand generated (persondays) and financial progress have been reported.
(b) Full State share proportionate to Central release till then is released and received by districts. In case of State having State Fund, it should be released and made available in the Mahatma Gandhi NREGA Savings Bank Account duly certified by the concerned Bank.
(c) Expenditure incurred reaches 60% of available funds.
(d) 100% reporting is made on MIS.
(e) Provision for Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra.
(f) UC of previous year and current year would be generated through MIS, pending audit paras should have been answered and other prescribed certificates as per the guidelines like non-diversion, non-embezzlement, etc. must accompany the proposal.
(g) Proposal to be accompanied with complete audit report if the same is submitted on 1st October and thereafter.
(h) Consistency in Opening Balance and Closing Balance as per audit report, UC and MPR of the last year.
(i) Complaints/VIP references to be resolved under the given time frame.
(j) Conduct of regular Social Audit. Findings of Social Audit to be uploaded and action taken on findings within 3 months to be on MIS.
(k) Ombudsman to be instituted before coming up for 2nd Tranche.
(l) If wages higher than notified wage are paid then the amount by which it is higher should be from State Share with proportionate material component that should have been released if material component exceeds proportionate 40% of the notified wages.

Contd..3/...

3. I would like to thank you for your positive and affirmative response on the above proposed improvements in the procedural aspects and with your cooperation, I am sure that overall efficacy in the implementation of the Mahatma Gandhi NREGA could be further enhanced. This will also bring in greater element of financial prudence in overall implementation of the Act.

Yours sincerely,

(BK Sinha)

1.6.10

o/c

Principal Secretaries/Secretaries
of all the States(in-charge of NREGA)